संख्या-17/2025/186/छप्पन-2025-56-1002(002)/1/2023

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन ,
उ0प्र0, लखनऊ ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2025

विषयः नागरिक उड्डयन निदेशालय स्थित वी0आई0पी0 लाउन्ज में पुनः विद्युतीकरण, फायर एलार्म सिस्टम, Renovation Work एवं फर्नीचर का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 354/ना0उ0नि0/2025 दिनांक 31 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्यालय कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0 (विद्युत) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या 145/आगणन/2025 दिनांक 24.01.2025, पत्र संख्या 174/आगणन /2025 दिनांक 30.01.2025 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड नं0-1 (सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या 253/E-I/2025 दिनांक 29.01.2025 की छायाप्रति व आगणन संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्य कराए जाने पर होने वाले व्यय रू0 68.00 लाख (रूपए अड़सठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है :-

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत (रू0 लाख में)**
1	विद्युतीकरण एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी कार्य	16.67
2	फायर एलार्म सिस्टम	06.95
3	Renovation Work एवं फर्नीचर का कार्य	44.38
	कुल अनुमानित व्यय	**68.00**

2- सूच्य है कि उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03 नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-29 अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि से किया जाएगा। उक्त मद में 77.54 लाख रूपए शेष हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-44/2024/510/छप्पन-2024-56-1002-001-1-2023 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय एवं राजस्व लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5315.71 लाख (रू0 तिरपन करोड़ पन्द्रह लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी गई है, जिसमें अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखाशीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03 नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-29 अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि भी सम्मिलित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2025 द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन निदेशालय स्थित वी0आई0पी0 लाउन्ज में पुनः विद्युतीकरण, फायर एलार्म सिस्टम, Renovation Work एवं फर्नीचर का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में अनुमानित लागत रू0 68.00 लाख (रूपए अड़सठ लाख मात्र) के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जाएगी।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-17/2025/186(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समीक्षा अधिकारी, (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in